प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 478/2023

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बलवन्त पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री बलवंत पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 19.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 132/43 की कुल 1.7230 है0 भूमि व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 63/81 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गांव बरूवाली II जिला सिरसा के खेवट नं. 387 में अलग से भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा उसका जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 व 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 132/43 की कुल 1.7230 है0 भूमि में से 1.47 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 148/134 की कुल 1. 5180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 63/81 की कुल 1.0120 है0 भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यं में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 132/43 की कुल 1.7230 है0 भूमि व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 63/81 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से [illegible] की साझा आय से अर्जित पैतृक [illegible]लाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण [illegible] 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 के अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया गया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 132/43 की कुल 1.7230 है0 भूमि में से 1.47 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 63/81 की कुल 1.0120 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 478/2023
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बलवन्त पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री बलवंत पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 478 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 132/43 की कुल 1.7230 है0 भूमि में से 1.518 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 63/81 की कुल 1.0120 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा